

भारत के तटीय पारस्थितिकी तंत्र का संरक्षण

प्रलिस के लिये:

CAG, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तटीय वनियिमन क्षेत्र अधिसूचना, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी

मेन्स के लिये:

भारत के तटीय पारस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [नयित्क और महालेखा परीक्षक \(CAG\)](#) ने संसद में एक रपिर्ट पेश किया कि क्या भारत के तटीय पारस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम सफल रहे हैं।

- इस नवीनतम रपिर्ट में वर्ष 2015-20 से तटीय पारस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के ऑडिट के अवलोकन शामिल हैं।

नयित्क और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा लेखापरीक्षा

- CAG के पास सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कार्यक्रमों की जाँच और रपिर्ट करने का संवैधानिक अधिकार है।
- CAG ने "पूर्व-लेखापरीक्षा अध्ययन" किया और पाया कि तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तटीय वनियिमन क्षेत्र (CRZ) का उल्लंघन हुआ था।
 - उच्च ज्वार सीमा (HTL) से 500 मीटर तक की तटीय भूमि और खाड़ियों, लैगून, मुहाना, बैकवाटर और नदियों के किनारे 100 मीटर के क्षेत्र को ज्वारीय उतार-चढ़ाव के अधीन तटीय वनियिमन क्षेत्र (CRZ) कहा जाता है।
- मीडिया ने अवैध नरिमाण गतिविधियों (समुद्र तट की जगह को कम करने) और स्थानीय नकियों, उद्योगों और जलीय कृषि फार्मों द्वारा छोड़े गए अपशष्ट की घटनाओं की सूचना दी, जिससे वसित्त जाँच हुई।

समुद्र तट के संरक्षण हेतु केंद्र ज़मिमेदार:

- परचिय:
 - सरकार ने विशेष रूप से नरिमाण के संबंध में भारत के तटों पर गतिविधियों को वनियिमति करने हेतु [पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986](#) के तहत अधिसूचना जारी की है।
 - मंत्रालय द्वारा लागू [तटीय वनियिमन क्षेत्र अधिसूचना \(CRZ\) 2019](#), बुनियादी ढाँचा गतिविधियों के प्रबंधन और उन्हें वनियिमति करने के लिये तटीय क्षेत्र को वभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है।
 - CRZ के कार्यान्वयन के लिये ज़मिमेदार तीन संस्थान हैं:
 - केंद्र में राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (NCZMA)
 - प्रत्येक तटीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में राज्य / केंद्रशासित प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (SCZMAs / UTCZMAs) और
 - प्रत्येक ज़िले में ज़िला स्तरीय समिति (DLCs) जिसमें तटीय क्षेत्र है और जहाँ CRZ अधिसूचना लागू है।
- नकियों की भूमिका:
 - ये नकियाँ जाँच करते हैं कि क्या सरकार द्वारा दी गई CRZ मंजूरी प्रक्रिया के अनुसार है, क्या डेवलपर्स परियोजना को आगे बढ़ने के लिये शर्तों का पालन कर रहे हैं, और क्या [एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम \(ICZMP\)](#) के तहत परियोजना विकास के उद्देश्य सफल हैं।
 - वे [सतत विकास लक्ष्यों](#) के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने की दशा में सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का भी मूल्यांकन करते हैं।

लेखापरीक्षा परणाम:

- **NCZMA स्थायी नकियाय के रूप में :**
 - पर्यावरण मंत्रालय ने NCZMA को स्थायी नकियाय के रूप में अधिसूचिती नहीं कयिा था तथा इसे प्रत्येक कुछ वर्षों में पुनर्गठिती कयिा जाता रहा था ।
 - परभिषति सदस्यता के अभाव में यह एक तदर्थ नकियाय के रूप में कार्य कर रहा था ।
- **वशिषज्ज मूल्यांकन समतिथिों की भूमिका:**
 - परयिोजना संबंघी वचिर-वमिर्श के दौरान वशिषज्ज मूल्यांकन समतिथिों के मौजूद नहीं थे ।
 - EAC वैज्जानकि वशिषज्जों और वरषिठ नौकरशाहों की एक समतिथि है जो एक बुनयिादी ढाँचा परयिोजना की व्यवहार्यता और इसके पर्यावरणीय परणामों का मूल्यांकन करती है ।
 - वचिर-वमिर्श के दौरान EAC के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से भी कम होने के उदाहरण थे ।
- **SCZMA का गठन नहीं कयिा गया:**
 - राज्य स्तर पर जहाँ राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधकिरण (SCZMA) नरिणय लेते हैं, केंद्रीय लेखा परीक्षक ने उन उदाहरणों का अवलोकन कयिा जहाँ SCZMA ने संबंघति अधकिारिथिों को परयिोजनाओं की सफिराशि कयिे बिना स्वयं ही मंजूरी दे दी थी ।
 - इसके अलावा SCZMA ने अनविार्य दसतावेज प्रस्तुत कयिे बिना कई परयिोजनाओं की सफिराशि की थी ।
- **अपर्याप्तता के बावजूद परयिोजनाओं की स्वीकृति:**
 - **पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)** रिपिरट में अपर्याप्तता के बावजूद परयिोजनाओं को मंजूरी दयिे जाने के उदाहरण थे ।
 - इनमें गैर-मान्यता प्राप्त सलाहकार शामिल थे जो EIA रिपिरट तैयार कर रहे थे, पुराने डेटा का उपयोग कर रहे थे, परयिोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन नहीं कर रहे थे, उन आपदाओं का मूल्यांकन नहीं कर रहे थे जिनिसे परयिोजना क्षेत्र प्रभावति था ।

राज्यों में समस्याएँ:

- **मन्नार की खाड़ी** द्वीप समूह के संरक्षण के लयिे तमलिनाडु के पास कोई रणनीति नहीं थी ।
- गोवा में प्रवाल भतिथिों की नगिरानी के लयिे कोई व्यवस्था नहीं थी और कछुओं के नेस्टगि स्थलों के शकिार से संरक्षण के लयिे कोई प्रबंधन योजना नहीं थी ।
- गुजरात में कच्छ की खाड़ी के जड़त्वीय क्षेत्र की मटिटी और पानी के भौतिक रासायनकि मापदंडों का अध्ययन करने के लयिे खरीदे गए उपकरणों का उपयोग नहीं कयिा गया था ।
- ओडशिा के केंद्रपाड़ा में **गहरिमाथा अभयारण्य** में समुद्री गशत नहीं हुई ।

तटीय प्रबंधन के लयिे भारतीय पहल:

- **सतत् तटीय प्रबंधन के लयिे राषटरीय केंद्र:**
 - इसका उद्देश्य पारंपरिक तटीय और द्वीपीय समुदायों के लाभ और कल्याण के लयिे भारत में तटीय और समुद्री क्षेत्रों के एकीकृत एवं स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देना है ।
- **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना:**
 - यह स्थरिता प्राप्त करने के प्रयास में भौगोलकि और राजनीतिक सीमाओं सहति तटीय क्षेत्र के सभी पहलुओं के संबंघ में एक एकीकृत दृषटकिण का उपयोग करके तट के प्रबंधन की एक प्रक्रयिा है ।
- **तटीय वनियिमन क्षेत्र:**
 - CRZ को 'पर्यावरण संरक्षण अधनियिम, 1986' के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय (जसिका नाम अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दयिा गया है) द्वारा फरवरी-1991 में अधिसूचिती कयिा गया था ।

आगे की राह:

- इन रिपिरटों को संसद की स्थायी समतिथिों के समकष रखा जाता है, जो उन नषिकर्षों और अनुशंसाओं का चयन करती हैं जिन्हें वे जनहति के लयिे सबसे महत्त्वपूर्ण मानते हैं और उन पर सुनवाई की व्यवस्था करते हैं ।
- इस मामले में, पर्यावरण मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि वह CAG द्वारा बताई गई खामयिों की व्याख्या करे और उसमें संशोधन करे ।

नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयिे: (2019)

पर्यावरण संरक्षण अधनियिम, 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि

1. वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रयिा में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासलि करने की प्रक्रयिा और रीतिका वविरण प्रदान करे ।
2. वह वभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या वसिर्जन के मानक नरिधारति करे ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जारी की गई थी।
- EIA, परियोजना के प्रस्तावों की स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन के लिये प्रदान किया जाता है।
- EIA के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक किसी भी विकासात्मक परियोजना पर जन सुनवाई और जन भागीदारी की प्रक्रिया है।
- हालाँकि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986 में कहीं भी पर्यावरण संरक्षण के लिये सार्वजनिक भागीदारी का उल्लेख नहीं है। यह पर्यावरण की रक्षा के लिये केवल सरकारी अधिकारियों और प्रदूषकों से संबंधित है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- EPA, वर्ष 1986 केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिये सभी उचित उपाय करने और पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार करने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, कम करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रभावी मशीनरी स्थापित करने का अधिकार देता है।
- EPA की 1986 की धारा 3, केंद्र सरकार को ऐसे स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या नरिवहन की गुणवत्ता या संरचना के संबंध में विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या नरिवहन के लिये मानक निर्धारित करने का अधिकार देती है। **अतः कथन 2 सही है।**

अतः विकल्प (b) सही है।

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/conserving-india-s-coastal-ecosystems>

